

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभा

क्रमांक: प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-IV

जयपुर, दिनांक: 01 JUN 2022

आदेश

टाउनशिप पॉलिसी-2010 में 10 हैक्टर से अधिक की तालिका-बी एवं 10 हैक्टर से कम की तालिका-ए में योजना क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत व्यवसायिक जिसमें इन्फोरमल सेक्टर भी सम्मिलित है रखे जाने, इसे विक्रय योग्य 60 प्रतिशत प्लॉटेड एरिया का भाग माने जाने एवं निष्पादित किये जाने के स्पष्ट प्रावधान किये गये है। टाउनशिप पॉलिसी-2010 लागू होने से पूर्व की अनुमोदित योजनाओं में इन्फोरमल सेक्टर हेतु आरक्षित भूमि के निस्तारण का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रकरण की जांच किये जाने के पश्चात् यदि इन्फोरमल सेक्टर विक्रय योग्य 60 प्रतिशत क्षेत्र का भाग है तो पॉलिसी-2010 के प्रावधानानुसार निस्तारण किया जावे, अन्यथा 40 प्रतिशत भूमि का भाग होने की स्थिति में नगरीय निकायों द्वारा पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित कर निष्पादन किया जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनीष गौयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम